

संसदीय वाद विवाद

भाग २—प्रश्न और उत्तर से वृषभ कार्यकारी

शासकीय वृत्तान्त

४७९७

४७९८

लोक सभा

बुधवार, ६ मई १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० प०

श्री षण्मुखम चेट्टी का देहान्त

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए दुःख होता है कि ५ मई १९५३ को ६१ वर्ष की आयु में श्री आर० के० षण्मुखम चेट्टी का कोयम्बटूर में देहान्त हो गया। कई वर्ष तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहने के उपरान्त श्री चेट्टी १९३३ में इस विधान सभा के प्रेसीडेंट हो गये। आप १९३८ से १९४१ तक कोचीन राज्य के दीवान रहे तथा १९४५ से १९४७ तक प्रशुल्क मण्डल के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर आप केन्द्रीय कैबिनेट में सम्मिलित हो गये तथा एक वर्ष से अधिक तक आप वित्त मंत्री रहे। अन्त में आप अन्नमालिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। आप दक्षिणी भारत के प्रमुख नागरिक थे।

मैं आशा करता हूँ कि उनके परिवार को समवेदना सन्देश भेजने में सदन मेरे

साथ होगा। सदन एक मिनट के लिये मौन खड़ा हो जाये तथा शोक प्रकट करे।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री टी० सुब्रह्मण्यम् का पत्र आया है कि बेलारी तालुक तथा आन्ध्र राज्य सम्बन्धी जांच, हैदराबाद सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश माननीय श्री जस्टिस लक्ष्मी शंकर मिश्रा द्वारा पहली मई, १९५३ को आरम्भ की जायेगी तथा उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस जांच में उपस्थित रहें। इसलिये उन्होंने प्रार्थना की है कि उन को उस समय तक के लिये जब तक कि जांच हो रही है, सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे। क्या सदन ऐसी आज्ञा देने को तैयार है ?

अनुमति प्रदान की गई

राज्य परिषद का सन्देश

सचिव : मैं सूचना देता हूँ कि राज्य परिषद ने, बिना किसी संशोधन के, संसद अधिकारी वेतन तथा भत्ता विधेयक १९५३ स्वीकार कर लिया है।

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक पर अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के विषय में विधि मंत्री के व्याख्यान से सम्बन्धित वक्तव्य प्रधान मंत्री एवं सदन नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आप की आज्ञा से,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्रीमान्, तथा सदन की आज्ञा से, मैं कुछ ऐसी घटनाओं की ओर निर्देश करना चाहता हूँ जो गत सप्ताह इस सदन में तथा अन्य सदन में घटित हुईं तथा, जिनके कारण संसद् के कार्य का सामान्य वातावरण क्षुब्ध हो गया है। दुर्भाग्य से मैं उस समय अनुपस्थित था। परन्तु वापस आने पर मैंने संसद् के दोनों सदनों में घटित होने वाली घटनाओं से भली भाँति परिचित होने का प्रयत्न किया है।

हमारे विधान के अनुसार, हमारे देश की संसद्, दो सदनों से मिल कर बनती है। विधान में दोनों का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है। हमारा विधान ही हमारा पथ प्रदर्शक है। कभी कभी हम इंग्लैंड के हाउस आफ कामन्स तथा हाउस आफ लार्ड्स के व्यवहार तथा प्रथाओं की ओर भी निर्देश करते हैं। परन्तु इंग्लैंड की संसद् की पृष्ठ भूमि एक ऐसे इतिहास की है जिस में पहले राजा और संसद् के बीच तथा बाद में कामन्स और लार्ड्स में परस्पर बड़े बड़े संघर्ष हुए। हमने अपना विधान बनाने में उन के अनुभव से लाभ उठाया है, परन्तु हमारे विधान के पीछे ऐसा कोई इतिहास नहीं है। इसलिए हमारा पथ प्रदर्शक हमारा अपना संविधान ही है, जिसमें लोक सभा तथा राज्य परिषद् के कृत्यों को स्पष्ट रूप से निश्चित किया गया है। हमारे सदनों में से किसी को उच्च या निम्न कहना ठीक नहीं। प्रत्येक सदन को संविधान की सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी प्रक्रिया को नियमित करने का अधिकार है। परन्तु कोई भी सदन अकेले ही संसद् नहीं हो सकता है।

संविधान के अनुसार दोनों सदन बराबर हैं यदि कोई अन्तर है तो केवल इतना कि वित्तीय विषय केवल लोक सभा के ही कार्य-

क्षेत्र में हैं। वित्तीय विषय कौन से होंगे इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है। यदि दोनों के बीच कोई विरोध की भावना उत्पन्न हो जाय तो यह बड़े ही खेद का विषय होगा। दोनों सदनों के बीच कोई वैधानिक मतभेद उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि अन्त में संविधान की ही बात अन्तिम तथा अधिकार पूर्ण मानी जायगी। अतः हमारे संविधान के सफलतापूर्वक प्रभावी रखने के लिये, दोनों सदनों में निकटतम सहयोग तथा परस्पर आदर की भावना का होना अत्यन्त आवश्यक है।

दुर्भाग्यवश २९ अप्रैल को राज्य परिषद् में बोलते हुए मेरे साथी, विधि मंत्री ने कुछ ऐसे शब्द कह दिये कि जिन के कारण गलतफहमी हो गई। यदि उन्हीं से बात की जाती तो यह गलतफहमी दूर हो सकती थी। परन्तु ऐसा न कर के सदन में इसकी ओर निर्देश किया गया तथा दोनों सदनों के मध्य और अधिक गलतफहमियाँ उत्पन्न हो गईं। विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये गये तथा यह कहा गया कि इस सदन की मर्यादा को धक्का पहुंचाया गया है।

मेरे साथी, विधि मंत्री, दोनों ही सदनों की मर्यादा तथा अधिकार की रक्षा के सम्बन्ध में उतने ही चिन्तित हैं जितना हम में से कोई भी हो सकता है तथा उन को इस बात से सब से अधिक दुःख हुआ है कि उनके किसी शब्द से लोगों को इस के विपरीत विचार करने का अवसर मिला तथा दोनों सदनों में कुछ घटनाओं घटित हुईं जिन के कारण सहयोग तथा मैत्री का वातावरण कुछ समय के लिये भंग हो गया, जिस का बना रहना संसद् के दोनों सदनों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु यह परिणाम

विधेयक पर अध्यक्ष के प्रमाण पत्र उनकी इच्छा के सर्वथा प्रतिकूल था तथा वे हृद प्रकट करते हैं तथा विश्वास करते हैं कि यदि असावधानी में उन से कोई भूल हो गई हो तो सदन उनकी क्षमायाचना को स्वीकार करेगा ।

दुर्भाग्यवश जब राज्य परिषद् में यह प्रश्न उठाया गया था तो मेरे साथी विधि मंत्री को यह सारे तथ्य नहीं मालूम थे । किसी विधेयक को वित्त विधेयक घोषित करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को ही प्राप्त है तथा जब अध्यक्ष अपना प्रमाणपत्र दे दें तो उस के विषय में कोई आपत्ति नहीं उठा सकता । अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार का निर्णय करने या प्रमाण पत्र देने में किसी से परामर्श करे । परन्तु जब से यह विधान १९५० से व्यवहार में लाया गया है अध्यक्ष ने स्वयं ही हर मामले में विधि मंत्रालय का मत जानकर ही निर्णय किया है । भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, जिसके सम्बन्ध में वर्तमान झगड़ा उत्पन्न हो गया है, जब यह सब से पहले आया था तो विधि मंत्रालय ने सलाह दी थी कि यह वित्त विधेयक है । २३ अप्रैल, १९५३ को प्रवर समिति से लौटने पर यह फिर लोक सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया । अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ही प्रश्न उठाया कि क्या प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में भी यह वित्त विधेयक है ? और उन्होंने विधि मंत्रालय की सलाह लेने का निदेश दिया और मंत्रालय से यह भी बताने को कहा कि वह किन आधारों पर इसको वित्त विधेयक मानते हैं । २४ अप्रैल, १९५३ को विधि मंत्रालय ने कारणों सहित परामर्श दिया कि यह विधेयक वित्त विधेयक है । तब १५ अप्रैल, १९५३ को अध्यक्ष महोदय ने निर्णय किया कि लोकसभा द्वारा पारित यह विधेयक वित्त विधेयक है तथा इसी आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये ।

व्याख्यान से संबन्धित दक्तव्य दुर्भाग्यवश, यद्यपि विधि मंत्री अपने मंत्रालय के परामर्श के लिये स्वयं उत्तर-बायी थे फिर भी उन को उस समय यह सारी बातें नहीं मालूम थीं । जैसे ही विधि मंत्री को ३० अप्रैल को यह सारी बातें मालूम हुई उन्होंने तुरन्त ही राज्य परिषद् के सभापति को इन सारी बातों से परिचित कराया ।

यही सारे तथ्य हैं । हम में से प्रत्येक के लिये संसद् के दोनों सदनों की मर्यादा महत्वपूर्ण है । प्रत्येक सदन की मर्यादा का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष तथा सभापति के द्वारा होता है तथा संसद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह किसी सदन का हो, उस मर्यादा तथा अधिकार का आदर करना चाहिये ।

मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ खेद-जनक घटनायें हुई हैं वे भुला दी जायेंगी तथा दोनों सदन मंत्री तथा सहयोग से कार्य करेंगे जैसा कि संसद् की महान् मर्यादा के लिये आवश्यक है ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ । गत सप्ताहान्त संसद् के दोनों सदनों की प्रशान्ति तथा मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली जो दुःखद घटना हुई, उस पर मुझे बहुत खेद है । मुझे यह सोच कर और भी अधिक दुःख होता है कि उस सब परेशानी का कारण मैं हूँ । मैं ने सदन को पहले ही यह विश्वास दिला दिया था कि मेरा अभिप्राय अध्यक्ष महोदय पर या सदन की मर्यादा पर आक्षेप करना कदापि नहीं था । आज मैं उस आश्वासन को फिर दुहरा देता हूँ । यदि मैंने निर-भिप्राय ऐसी कोई बात कह दी हो जो सदन को बुरी लगी हो, तो मुझे इसका हार्दिक खेद है और मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूँ । मुझे आशा है कि अब यह वृत्तान्त सदैव के